IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 211 OF 2024

IN THE MATTER OF-

SANJAY AGARWAL ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PG NO.
1.	Compliance Report on behalf of the District Magistrate, Tehri Garhwal, in compliance of the order dated 25.11.2024 of this Hon'ble Tribunal	1-7
2.	**ANNEXURE-R/1(COLLY)** The clarifications dated 05.12.2024 received from the Administrative Officer as well as the Senior Assistant/ Personal Assistant, Additional District Magistrate, Tehri Garhwal	8-9
3.	**ANNEXURE-R/2(COLLY)** The letter bearing No. 176/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024 and the reminder letter bearing no. 179/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024 sent by the District Magistrate, Tehri Garhwal to the Vice President, District level Development Authority, Tehri, Tehri Garhwal	10-11
4.	**ANNEXURE-R/3** The copy of the e-mail dated 25.11.2024 vide which the District Development Authority's letter bearing number 202409159000000DAAK dated 15.10.2024 was received by DM, Tehri Garhwal	12

5.	**ANNEXURE-R/4** The minutes of the meeting dated 04.12.2024	13-14
6.	**ANNEXURE-R/5** The order of the District Magistrate, Tehri Garhwal bearing No. 177/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024	15-28
7.	**ANNEXURE-R/6** The order bearing No. 180/L.B.C/2024-2025, dated 09.12.2024, passed by the District Magistrate, Tehri Garhwal to the Sub Divisional Magistrate, Narendra Nagar, Tehri Garhwal	29-32
8.	**ANNEXURE-R/7** The eviction notice dated 07.12.2024 issued by the Prescribed Authority, Narendra Nagar in Eviction Suit No. -13/2023-2024, 14/2023-2024, 15/2023-2024, and 16/2023-2024 under sub-section (1) of section-4 of the UP Public Land-House (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1972	33-36

FILED BY-

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM
ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE OF UTTARAKHAND/ RESPONDENT NO. 6
OFFICE AT: A-25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 211 OF 2024

IN THE MATTER OF-

SANJAY AGARWAL ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL, IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 25.11.2024 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

---

1. That the present compliance report is being filed in compliance of the order dated 25.11.2024 passed in the Original Application number 211/2024 titled as "Sanjay Agarwal vs State of Uttarakhand & Ors.". It is pertinent to mention that, my office has clarified in its records and office mail ID etc. Whereby the Administrative Officer, record room and other assistants of the district office in their respective reports dated 05.12.2024 has clarified that the District Development Authority's letter bearing number 202409159000000DAAK dated 15.10.2024 (hereinafter referred to as the **"said letter"**) was not received by the office within the stipulated time, as a result of which the order could not be issued on time by District Magistrate, Tehri Garhwal. The clarifications dated 05.12.2024 received from the Administrative Officer as well as the Senior Assistant/ Personal Assistant has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/1(COLLY).**

2. The DM, Tehri Garhwal had also directed the District Level Development Authority to examine its records as well as to clarify the information and status of the said letter by letter bearing no. 176/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024, that on which date and through which medium the said letter was made available by them to the office of DM, Tehri Garhwal but no information regarding the above stated matter was made available to office of DM, Tehri Garhwal by the concerned till date, in view of which the DM, Tehri Garhwal sent a reminder letter to the Vice President, District Level Development Authority, Tehri, Tehri Garhwal on 09.12.2024. The letter bearing No. 176/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024 and the reminder letter bearing no. 179/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024 sent by the District Magistrate, Tehri Garhwal to the Vice President, District level Development Authority, Tehri, Tehri Garhwal has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/2(COLLY)**.

3. The said letter of the District Level Development Authority dated 15.10.2024 was received in office of DM, Tehri Garhwal very late on 25.11.2024 at 4:10 pm through e-mail of the District Magistrate's office. The copy of the e-mail dated 25.11.2024 vide which the said letter was received by DM, Tehri Garhwal has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/3.**

4. In reference to the said letter, a meeting was called by the District Magistrate, Tehri Garhwal on 04.12.2024, in which, Vice Chairman District Level Development Authority, Sub Divisional Magistrate Narendra Nagar, Regional Officer Pollution Control Board, Dehradun and Irrigation Department along with competent officers of District Level Development Authority and other

departments participated. The minutes of the meeting dated 04.12.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/4.**

5. The office of District Magistrate, Tehri Garhwal, vide its Order No. 177/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024, had directed the Sub Divisional Magistrate Narendra Nagar to be nominated as Magistrate in accordance with the requirement of administrative cooperation by the Authority for the action of demolishing the unauthorized occupation made by Deccan Valley, Tapovan in Tapovan. That vide the above stated letter it was assured that on the date on which the District Level Development Authority Narendra Nagar demands police force, the Police Department will provide them police force as per their requirement on the said date, and the Sub Divisional Magistrate Narendra Nagar will himself be present at the time of the action of demolishing the unauthorized construction. The order of the District Magistrate, Tehri Garhwal bearing No. 177/L.B.C-2/2024-2025 dated 05.12.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/5.**

6. The demolition orders have been passed by Joint Secretary, District Level Development Authority Tehri, Narendra Nagar, Tehri Garhwal, in respect of the said illegal construction by letter number 526, letter number-527, letter number-528, letter number-529, letter number-530, letter number-531 dated 05.12.2024, in which the date of demolition has been fixed as 14.12.2024 at 11:00 am. In view of the above, the District Magistrate, Tehri Garhwal has ordered the Sub Divisional Magistrate, Narendra Nagar, Tehri Garhwal vide office order no. 180/L.B.C/2024-2025 dated 09.12.2024 to take necessary action for peace and order and other action by coordinating with the police department for the demolition action on the scheduled date. The order bearing No.

180/L.B.C/2024-2025, dated 09.12.2024, passed by the District Magistrate, Tehri Garhwal to the Sub Divisional Magistrate, Narendra Nagar, Tehri Garhwal has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/6.**

7. In compliance of the meeting minutes of 04.12.2024, the Revenue Department team conducted a joint inspection of the buildings of the building owners 1. Shri Deepak Kandari son of Shri Laxman Singh, 2. Shri Atul Nehra son of Shri Sukhrampal Singh 3. Shri Lalit Mohan Mishra son of Shri Kamalnarayan, Shri Bharat Singh etc. 4. Shri Kapil Gupta son of Shri Sachchidanand Gupta, Rajesh Agarwal, in which encroachment was found on the drain on the north side of National Highway No. 58 in Mauja Tapovan and pursuant to the above stated inspection, Eviction suit bearing No. 13/2023-2024, 14/2023-2024, 15/2023-2024 and 16/2023-2024 was filed and the Court: Prescribed Authority, Narendra Nagar has passed an eviction notice against the concerned parties under sub-section (1) of section-4 of the UP Public Land-House etc. (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1972.The eviction notice dated 07.12.2024 issued by the Prescribed Authority, Narendra Nagar in Eviction Suit No.-13/2023-2024, 14/2023-2024, 15/2023-2024, and 16/2023-2024 under sub-section (1) of section-4 of the UP Public Land-House (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1972 has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/7.**

8. Due to non-receipt of the said letter in the office of District Magistrate, Tehri Garhwal on time, there was a delay in the action of deploying police force, nominating magistrate, but on receipt of the said letter dated 25.11.2024 with great delay, the office has accordingly nominated magistrate for the action of demolition of

the said illegal construction along with the police department, and the undersigned will personally monitor this matter and take action to provide the administrative support required by the authority on time for the disposal of this matter.

In light of the findings and observations from the inspection, this report is humbly submitted to comply with the directions of this Hon'ble Tribunal. Necessary Actions will be taken as per legal provisions.

District Magistrate

Tehri Garhwal

FILED BY-

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM

ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE OF UTTARAKHAND/ RESPONDENT NO. 6
OFFICE AT: A-25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

संजय अग्रवाल

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 दिनांक 25.11.2024 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अवगत कराना है कि, इस कार्यालय द्वारा अपने अभिलेखों एवम् कार्यालय की मेल आई डी आदि के साथ ही प्रशा0 अधि0, ऑग्ल अभिलेख कक्ष एवम जिला कार्यालय के अन्य सहायको द्वारा अपनी–अपनी रिपोर्टो दिनांक 05.12.2024(संलग्न) में स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण का पत्र संख्या 202409159000000 DAAK दिनांक 15.10.2024 निर्धारित समय में कार्यालय को प्राप्त ही नही हुआ है, जिसके फलस्वरूप ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश समय पर निर्गत नहीं हो पाये।
2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से भी अपने अभिलेखों का अवलोकन करने के साथ ही उक्त पत्र किस तिथि को उनके द्वारा इस कार्यालय में किस माध्यम से उपलब्ध कराया गया की सूचना व स्थिति स्पष्ट करने के पत्र संख्या–176 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा निर्देश दिये जा चुके है। परन्तु सम्बन्धित द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना अतिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2024 को उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढवाल को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।
3. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक–15.10.2024, इस कार्यालय में अति विलम्ब से दिनांक 25.11.2024 समय शाम 4:10 बजे जिलाधिकारी कार्यालय की ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है।(प्राप्त ई–मेल की प्रति संलग्न।)
4. प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को एक बैठक आहूत की गयी जिसमें, उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी नरेन्द्र नगर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून व सिंचाई विभाग के साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण व अन्य विभागो के सक्षम अधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया, बैठक का कार्यावृतं सलग्न है।
5. इस कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या–177 दिनांक 5.12.2024 द्वारा डैक्कन बैली, तपोवन द्वारा तपोवन में किये गये अनाधिकृत कब्जे को अवमुक्त/ध्वस्तीरकण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा के अनुरूप उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को मजिस्ट्रेट नामित कर निर्देशित किया जा चुका है कि जिस तिथि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर द्वारा पुलिस बल की मॉग की जाय उक्त तिथि को उनकी मॉग के अनुरूप पुलिस विभाग उन्हें पुलिस बल उपलब्ध कराने के साथ अनाधिकृत निर्माण के अवमुक्त/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थल पर उप जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।

6. संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल, के द्वारा पंत्राक संख्या–526, पंत्राक संख्या–527, पंत्राक संख्या–528, पंत्राक संख्या–529, पंत्राक संख्या–530, पंत्राक संख्या–531 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा उक्त अवैध निर्माण के संबन्ध में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके है, जिनमें ध्वस्तीकरण की तिथि दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे, नियत की गई है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पत्राक संख्या 180/L.B.C.-2/ दिनांक 09.12.2024 के द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए शांति व्यवस्था एवं अन्य कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यावाही करने हेतु ओदेशित किया गया है।

7. उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा भवन स्वामी 1. श्री दीपक कण्डारी पुत्र श्री लक्ष्मण सिहं, 2. श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुखरमपाल सिहं 3. श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र श्री कमलनारायन, श्री भरत सिहं आदि 4. श्री कपिल गुप्ता पुत्र श्री सच्चिदानन्द गुप्ता, राजेश अग्रवाल के भवनों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमे मौजा तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के उत्तर दिशा में नाले पर अतिक्रमण होना पाया गया है। उक्त के क्रम में न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा बे0वा0 संख्या–13,14,15 एवं 16 वाद दर्ज कर उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम–1972 की धारा–4 की उप धारा–(1) के अधीन सम्बन्धितों के विरूद्व बेदखली नोटिस पारित किया गया है।

8. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का पत्र दिनांक 15.10.2024 को इस कार्यालय में समय पर प्राप्त न होने के फलस्वरूप ही पुलिस बल तैनात करने, मजिस्ट्रेट नामित करने की कार्यवाही में विलम्ब हुआ परन्तु अति विलम्ब से उक्त पत्र दिनांक 25.11.2024 को कार्यालय को प्राप्त होने पर तदानुसार पुलिस विभाग के साथ उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट नामित करने के साथ इस प्रकरण पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा ब्यक्तिगत रूप से नजर रखते हुये जिस प्रकार के प्रशासनिक सहयोग की प्राधिकरण को आवश्यकता होगी इस प्रकरण के निस्तारण हेतु उसी अनुरूप उन्हें समय पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश का इस जनपद में अक्षरशः अनुपालन करवाया जायेगा।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

–:: प्रमाण पत्र ::–

प्रमाणित किया जाता है कि उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–202409159000000DAAK/दिनांक–15.10.2024 का इस कार्यालय को प्राप्त होने के संबंध में ऑग्ल अभिलेख कक्ष/पत्र प्राप्ति कक्ष, जिला कार्यालय की विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया गया। पंजिकाओं के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त वर्णित पत्र जिला कार्यालय, टिहरी गढ़वाल में प्राप्त नहीं हुआ है।

किन्तु दिनांक 25.11.2024 को समय 04:10 PM बजे ई–मेल के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

दिनाँक: 05-12-2024

05-12-2024

(राजेन्द्र सिंह नेगी)
प्रशासनिक अधिकारी
ऑग्ल अभिलेख कक्ष,
जिला कार्यालय, टि0ग0।

—:प्रमाण पत्रः—

प्रमाणित किया जाता है कि उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या—202409159000000DAAK दिनांक 15.10.2024 का इस कार्यालय को प्राप्त होने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की कार्यालय मेल आई—डी का अवलोकन किया गया। मेल आई—डी का दिनांक 15.10.2024 एवं उसके उपरान्त की तिथियों का भी परीक्षण किया गया। जिसमें वर्णित पत्र अपर जिलाधिकारी की मेल व डाक में प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त वर्णित पत्र जिलाधिकारी महोदय की कार्यालय ई—मेल आई—डी पर दिनांक 25.11.2024 को समय 04:10 PM पर प्राप्त होने के पश्चात् इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है।

दिनांक:- 05/12/2024

05/12/2024

(सूरज भान सिंह),
वरिष्ठ सहायक / निजी सहायक,
अपर जिलाधिकारी,
जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

सेवामें,

उपाध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी,टिहरी गढवाल।

सख्या–176 /L.B.C-2/2024–2025 दिनांक नई टिहरी 05, दिसम्बर 2024

विषयः– डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ऋषि /87 /2017–2018 जि0 स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सींलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक संख्या–202409159000000DAAK दिनांक 15.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करे, जो कि इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2024 को मेल के माध्यम से (समय 4:10PM) को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल व अन्य द्वारा डैक्कन वैली के समीप बगैर मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण के विरूद्व प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या–2410/ नो0/ऋषि/87/2017–2018 दिनांक 03.11.2027 दर्ज कर जिला स्तरीय प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के 17 फ्लैट में से 03 खाली फ्लैट सीज करने जबकि उक्त अवैध 14 अवशेष फ्लैटो पर सीज/खाली करने आदि की अग्रेत्तर वैधानिक कार्यवाही जो अभी तक पूर्ण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करने के साथ जिलाधिकारी महोदय से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये है।

इस सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है, कि उपरोक्त प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 (ORIGINAL APPLICATION NO 211/2024) में संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य वर्तमान में योजित है जिसमें मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा निम्नवत आदेश दिनांक 25.11.2024 को पारित किये गये हैः– "we also direct District Magistrate Tehri Garhwal to remain present on the next date to explain as to why it has not responded to letter dated 15-10-2024 sent by District Development Authority Tehri Garhwal till date.मा0 हरित प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा अभिलेखों एवम् कार्यालय की मेल आई डी आदि का संज्ञान लेने पर स्पष्ट हुआ कि आपका उपरोक्त वर्णित पत्र पत्र संख्या 202409159000000DAAK दिनांक 15.10.2024 की खोजबीन/तलाशी, जिला कार्यालय के ऑग्ल अभिलेख कक्ष/पत्र प्राप्ति कक्ष में की गयी। प्रशासनिक अधिकारी, ऑग्ल अभिलेख कक्ष जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वर्णित पत्र जिला कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में प्राप्त होना नहीं पाया गया है, एवं साथ ही अधोहस्ताक्षरी के वरिष्ठ सहायक/निजी सहायक के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक–15.10.2024 का

कार्यालय की ई–मेल पर भी अवलोकन किया गया, किन्तु उपरोक्त वर्णित पत्र उपरोक्त तिथियों एवं डाक में भी कार्यालय को प्राप्त होना नहीं पाया गया। जैसा कि स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्रेषित उक्त वर्णित पत्र अति विलम्ब के साथ **दिनांक 25.11.2024 समय 4:10 बजे** जिलाधिकारी कार्यालय की ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र कार्यालय में समय पर प्राप्त न होने के फलस्वरूप ही इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को उक्त कार्य हेतु समय पर मजिस्ट्रेट नामित नही किया जा सका और ना ही पुलिस विभाग को आपकी सम्पूर्ण कार्यवाही में आवश्यक सहयोग हेतु पुलिस बल सहित उपस्थित रहने के निर्देश निर्गत किये जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है, कि जिला स्तरीय प्राधिकरण कार्यालय के सम्बन्धितो से इस लापरवाही पर उनसे दो दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, कि उक्त महत्वपूर्ण पत्र दिनाक 15.10.2024 जिला कार्यालय को किस कारणवश समय पर प्रेषित/उपलब्ध नही कराया गया जिससे तत्समय आवश्यक कार्यवाही नही हो पायी। उपरोक्त पर स्पष्ट आख्या/सम्बन्धितों का स्पष्टीकरण जिला कार्यालय टिहरी गढवाल को दो दिवसों में भेजने का कष्ट करें जिससे सुनवाई की अगली तिथि 16.12.2024 से पूर्व मा0 N.G.T में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

05.12.24

अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सचिव जि0स्त0वि0प्राधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय को तद्क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सचिव जि0स्त0वि0प्राधिकारी
टिहरी गढवाल।

Gmail

DM Tehri <dmtehri@gmail.com>

Regarding NGT

1 message

DDA Tehri <ddatehriuk@gmail.com> Mon, Nov 25, 2024 at 4:10 PM
To: DM TEHRI <dmtehri@gmail.com>

Dear Sir

Kindly find the attached document
Thanks & Regards -
District Level Tehri Development Authority
Old DM House, First Floor
Narendra Nagar

2 attachments

DAAK Letter (1)-1.pdf
278K

adobe scan 15-oct-2024 (1).pdf
3695K

कार्यवृत्त

डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ऋषि /87 /2017–2018 जि0 स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 04.12.2024 को प्राधिकरण कार्यालय नरेन्द्रनगर में बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुयें।

1. श्री प्रकाश चन्द दुम्का, उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
2. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढवाल।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
5. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।
6. श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
7. श्री दर्मियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।

सर्व प्रथम मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का संज्ञान लेते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी तद्क्रम में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकारण द्वारा अवगत कराया गया कि अनाधिकृत 06 निर्माणों में से 5 निर्माणों को पूर्णतः सील किया गया है जबकि छठवे निर्माणकर्ता श्री राजेश अग्रवाल के 17 आवासीय फ्लैटो में से 03 खाली आवासीय फ्लैटो को सील कर दिया गया है तथा 14 अन्य में परिवारो के निवासरत होने के कारण सील नहीं किया गया है। उक्त सभी निर्माणों में शमन की कार्यवाही न होने से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में उक्त निर्माणों को ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन एवं पुलिस बल को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पृच्छा करने एवम कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण हेतु सहयोग पत्र अधोहस्ताक्षरी को अति विलम्ब के साथ दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ है।साथ ही उपाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण कर्ताओं द्वारा विभिन्न अपील व रिवीजन वाद दायर किया गया है।अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर/सयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यथा आवश्यक एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ सहयोग हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही उप जिलाधिकारी/सयुक्त सचिव/पुलिस उपाधीक्षक जि0 स्त0वि0 प्राधि0 टिहरी नरेन्द्रनगर)

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी की 100 वर्षीय बाढ आवृति सीमा से बाहर है।

2 प्रश्नगत निर्माणों के समीप नाले पर यदि कोई अतिक्रमण किया गया है या नाले की भूमि पर मलबा गिराया गया है तो 03 दिन के अन्दर सीमांकन रिर्पोट प्रस्तुत किया जाय। यदि अतिक्रमण पाया जाता है या जल प्रवाह का अतिक्रमण पाया जाता है तो अगले 03 दिन के अन्दर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी /अधि0अभि0सिंचाई नरेन्द्रनगर)

3 प्रश्नगत निर्माणों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्माणों हेतु पृथक से एस0टी0पी0 की आवश्यकता नहीं है।सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं द्वारा जल संस्थान से कनेक्शन लिया गया है। यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण स्तर से जॉच कर नियमानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी निर्माणकर्ताओं द्वारा सीवर अथवा सेप्टिक मेनेजमेन्ट के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण)

4 उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सभी निर्माण का क्षेत्रफल 20000.00 वर्ग मी0 से कम है इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते है। इसकी पुष्टि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में की गयी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि उक्त निर्माण 20000.00 वर्ग मी0 से कम है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी सम्बन्धितों को बैठक में लिये गये निर्णय पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये बैठक समाप्त की गयी।प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से सम्बन्धित होने के कारण सभी को समयबद्ध रूप से उपरोक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।

संख्याः–175 /L.B.C-2/24-25 दिनांक नई टिहरी दिसम्बर 05, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को अनुपालानार्थ हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
3. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, नरेन्द्रनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढवाल।

संख्या–177/L.B.C-2/2024–2025 दिनांक नई टिहरी दिसम्बर05, 2024

1.उप जिला मजिस्ट्रेट
नरेन्द्रनगर।
2.पुलिस उपाधीक्षक
नरेन्द्रनगर।

विषय **डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ ऋषि /87 /2017–2018 जि0 स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सींलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के मूल आवेदन संख्या–211/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 4.12.2024 को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर में आहूत की गयी थी। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अधोहस्ताक्षरी, उप जिलाधिकारी/सयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर, स0अभि0 सिंचाई/जि0 स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में अन्य बिन्दुओ के साथ डैक्कन बैली, तपोवन द्वारा तपोवन में किये गये अनाधिकृत कब्जे को अवमुक्त/ध्वस्तीरकण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा की गयी जिसके सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को मजिस्ट्रेट नामित किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि जिस तिथि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर द्वारा पुलिस बल की मॉग की जाय, उक्त तिथि को उनकी मॉग के अनुरूप आपसी समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये पुलिस बल के साथ डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के अवमुक्त/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में स्थल पर स्वयं उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरण मा0 N.G.T से सम्बन्धित होने से आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

05.12.24
(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सचिव, जि0स्त0वि0प्राधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय को तदक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, टिहरी गढ़वाल को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्रनगर को पृथक से निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

3.सहायक अभियंता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सचिव, जि0स्त0वि0प्राधिकारी
टिहरी गढवाल।

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 526/जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक – 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक–317/जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. विपक्षी श्री शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail– ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 527 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक – 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मित्तल, श्री अमित गोयल एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक–321 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मित्तल, श्री अमित गोयल एवं अन्यके अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल मर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मित्तल,श्री अमित गोयल एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail– ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 528 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक – 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक–318 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति मे ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 529 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक - 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री अतुल नेहरा एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-319/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री अतुल नेहरा एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मैवारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री अतुल नेहरा एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी.
नरेन्दनगर, टिहरी गढ़वाल।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail– ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 530 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25

दिनांक – 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक–320/जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- dldatehri.org E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 531 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक – 05.12.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री राजेश अग्रवाल/श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक–322/जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वंय स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत विपक्षी, श्री राजेश अग्रवाल/श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।

7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचि पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि निय तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल/श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्मा को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरा आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

अनुस्मारक–1

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रेषित,

उपाध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी,टिहरी गढवाल।

सख्या–179/L-B-C-2/2024-25 दिनांक नई टिहरी 09, दिसम्बर 2024

विषयः– डैक्कन वैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ऋषि/87/2017–2018 जि0स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यावाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO. 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र, पत्रांक संख्या–176/L.B.C.-2/ दिनांक–05.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके कार्यालय का पत्र, पत्रांक संख्या–202409159000000 दिनांक 15.10.2024 जिला कार्यालय को निर्धारित समय अवधि में प्राप्त न होने कि दशा में, जिला स्तरीय प्राधिकरण कार्यालय के सम्बन्धितो से इस लापरवाही पर उनसे दो दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना अतिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है।

अतः आपकों इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या एवं सम्बन्धितों का स्पष्टीकरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।

संख्या–180/L.B.C-2/2024-25 दिनांक नई टिहरी 09, दिसम्बर 2024

उप जिला मजिस्ट्रेट,
नरेन्द्रनगर।

विषयः– डैक्कन वैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ऋषि/87/2017–2018 जि0स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यावाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO. 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–177/L.B.C.-2/ दिनांक–05.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपको डैकन बैली, तपोवन, में किये गये अनाधिकृत कब्जे को अवमुक्त/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा की गयी, जिसके सम्बन्ध में आपको मजिस्ट्रेट नामित किया गया है साथ ही निर्देशित किया गया था कि जिस तिथि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस बल की मांग की जाय, उक्त तिथि को उनकी मांग के अनुरूप आपसी समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये है।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण के पंत्राक संख्या–527, पंत्राक संख्या–528, पंत्राक संख्या–529, पंत्राक संख्या–530, पंत्राक संख्या–531 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा नियत तिथि दिनांक 14.12.2024 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए शांति व्यवस्था एवं अन्य कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी-गढ़वाल।

Office Email- sdmnnagar@gmail.com फोन/फैक्स 01378-227283

संख्या/ 538 /एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

:: संयुक्त निरीक्षण ::

कृपया जिला कार्यालय के आदेश संख्या-175/एल0बी0सी0-2/24-25 नई टिहरी दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/2017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में सुंयक्त निरीक्षण हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य है। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

सर्वे कानूनगो नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवैध अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन की कार्यवाही की कार्यवाही की जा चुकी है, आख्या संलग्न है, तथा अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। (संलग्न)

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन लिये गये है, तथा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये जा चुके है। आदेश की प्रति संलग्न है।

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत स्थल के सभी निर्माण कार्यो का क्षेत्रफल 20000.00 वर्गमीटर से कम है, इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते है। इसकी पुष्टि कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया ।

अत: संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नरेन्द्रनगर

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,
नरेन्द्रनगर।

उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 05.12.2024 को उपजिलाधिकारी महोदय नरेन्द्रनगर के मौखिक आदेश के अनुपालन में मौजा तपोवन के अन्तर्गत डेकन वैली के समीप नाले पर हुए अतिक्रमण का चिह्नीकरण किया गया गया है, चिह्नीकरण रिपोर्ट निम्नवत है -

कि स्थल निरीक्षण में पाया कि मौजा तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के उत्तरदिशा में नाले के बायी ओर प्रश्नगत स्थल पर कुल 06 बहुमंजिला भवन निर्मित।निर्माणाधीन है, उक्त स्थल पर निर्मित।निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनो के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला विकास प्राधिकरण के नरेन्द्रनगर टिहरीगढ़वाल के सहायक अभियन्ता श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा मौखिक - विवरण उपलब्ध कराया गया है, उक्त स्थल ग्राम तपोवन के राजस्व मानचित्र फसली वर्ष 1400 सन् 1992-93 के आधार पर खसरा नम्बर चिह्नित किये गये, प्रश्नगत भवन मौजा तपोवन के हाल खसरा नम्बर 25 एवं 27 की सीमा के अन्तर्गत स्थित है, स्थल निरीक्षण मे कोई भवन स्वामी मौके पर उपस्थित नही मिले है, जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भी उक्त भवन स्वामियो के स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य।अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है।

कि स्थल निरीक्षण मे उपरोक्त 06 बहुमंजिला भवनो मे से कुल 04 बहुमंजिला भवन आंशिक रूप से नाले की सीमा में पाये गये है जिसका विवरण निम्नवत है भवनस्वामी अमित गोयल व शोभा सिंह द्वारा नाले पर नाले पर अतिक्रमण नही पाया गया, जो नजरी नक्शे के क्रमांक 5 व 6 पर प्रदर्शित है।

क्र० सं०	भवनस्वामी का नाम	नाले की सीमा में अतिक्रमण की गई भूमि की नाप।क्षेत्रफल	विवरण
1	दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह	25 मी०X 4.50मी = 112 वर्गमी	-
2	अतुल नेहरा पुत्र सुखरमपाल सिंह	9.50मी०X 4मी० = 38 वर्गमी	
3	ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमलनारायण भरत सिंह आदि.	9.50मी०X 4मी० = 38वर्गमी	-
4.	कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द गुप्ता राजेश अग्रवाल	15मी०X 4मी = 60वर्गमी-	-

अतः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

सर्वे लेखपाल नरेन्द्रनगर

रा०उ० निरीक्षक पजैगांव

रा०उ० निरीक्षक दिउली।तपोवन

रा०निरीक्षक नरेन्द्रनगर

रा०निरीक्षक पावकीदेवी

सब कानूनगो नरेन्द्रनगर

तहसीलदार नरेन्द्रनगर

नजरी नक्शा मौजा तपोवन मध्ये डैकल नैली के समीप नाले पर अतिक्रमण कभूमि दि० 5/12/2024

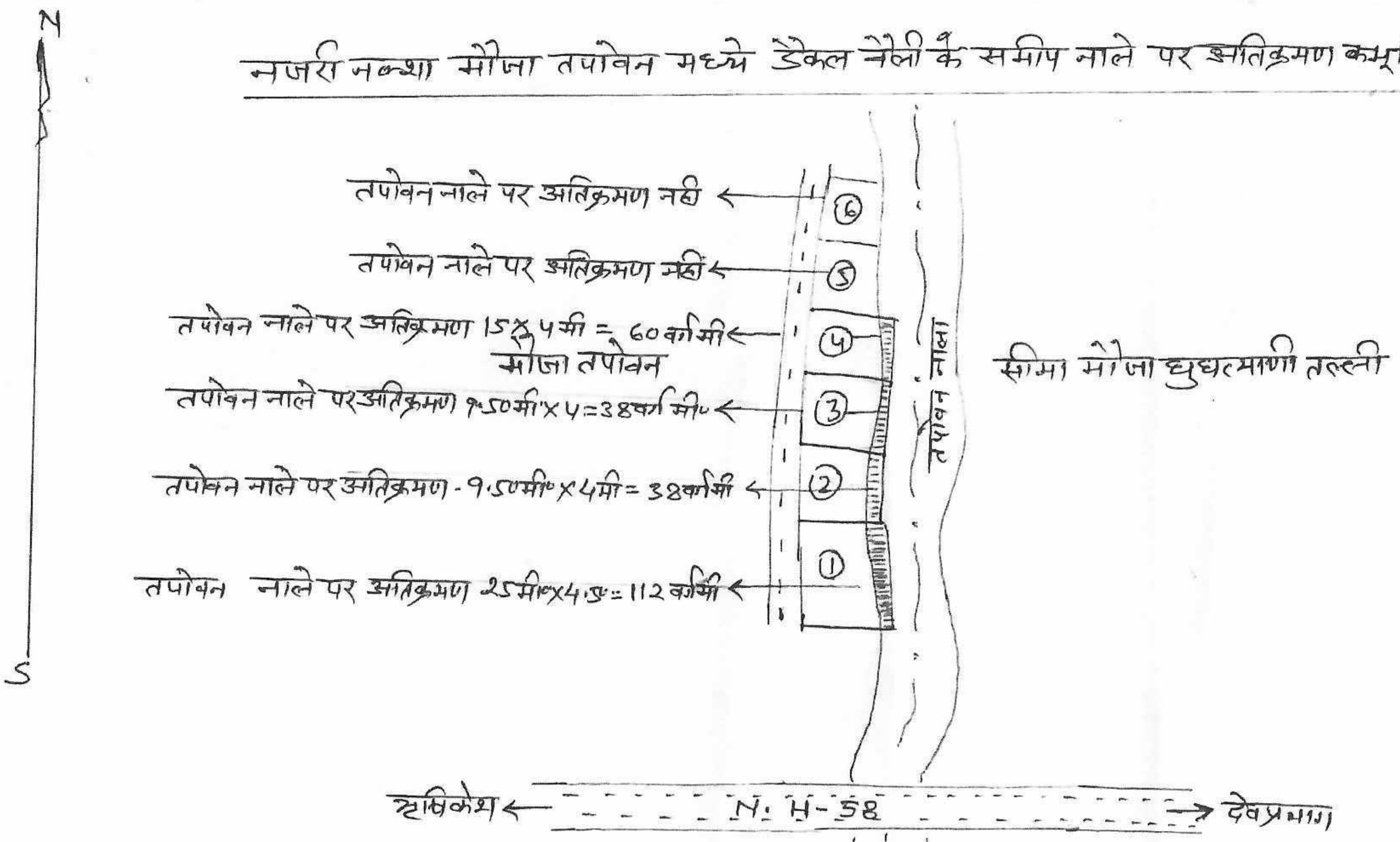

सर्वे लेखपाल,

रा० उ० निरीक्षक
फर्जे गाव

रा० उ० निरीक्षक
दिउली / तपोवन

राजस्व निरीक्षक
नरेन्द्रनगर

राजस्व निरीक्षक
पालकी देवी

सर्व कानूनगो
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बे0वा0 संख्या– 18 /2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनिय।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन नोटिस।)

प्रेषित,

श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण
निवासी ग्राम ग्राम तपोवन,
पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर,
टिहरी गढ़वाल।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

अप्राधिकृत अध्यासी श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण निवासी निवासी ग्राम ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450 है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0038है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से 0 2,52,000/–(रूपये दो लाख वावन हजार मात्र) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 24.12.24 को या उससे पूर्व यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

अप्राधिकृत अध्यसासी श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण उपरोक्त के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0038है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से रू0 2,52,000/–(रूपये दो लाख वावन हजार मात्र) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला, पश्चिम में:–अध्यासी का भवन,
उत्तर में: कपिल गुप्ता का भवन ,दक्षिण में:–अतुल नेहरा का भवन स्थित हैं।

दिनांक 07/12/24

a/c

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः राजस्व उपनिरीक्षक, तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

a/c

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बेदखली वा0 संख्या–13 /2023–24 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम 1972।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1)के अधीन नोटिस।

प्रेषित,

1– दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधारः::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज. विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0. 0112 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 25|12|2024को या उससे पूर्व इस न्याालय में उपस्थित होकर यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न अध्यासित भूमि से बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.5450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0112 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है। उक्त भूमि एवं उस पर बने छः मंजिला भवन की कीमत 3194464/–00 रूपये आंकी गयी है, और इसी के आधार पर वाद का मुल्यांकन करते हुये अध्यासी द्वारा उक्त भू–भाग से बाजारी दर पर रू0 3,60,000/–00(तीन लाख साठ हजार रूपये) वार्षिक की दर से लाभार्जन कर रहा है। क्यो न उक्त भूमि से अध्यासी को बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला पश्चिम में:– अध्यासी का भवन

उत्तर में: भवन अतुल मेहरा ,दक्षिण में:– नाप भूमि

दिनांक 7|12|2024

असिस्टेंट कलेक्टर टि० ग० नरेन्द्रनगर

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः तहसीलदार नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करा कर रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बेदखली वा0 संख्या– 15 /2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1)के अधीन नोटिस।

प्रेषित,

1– अतुल मेहरा पुत्र सुखरमपाल निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0038 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 24/12/2024 को या उससे पूर्व इस न्यालय में उपस्थित होकर यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न अध्यासित भूमि से बेदखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0038 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है। उक्त भूमि एवं उस पर बने छः मंजिला भवन की कीमत 1083836/–00 रूपये आंकी गयी है, और इसी के आधार पर वाद का मुल्यांकन करते हुये अध्यासी द्वारा उक्त भू–भाग से बाजारी दर पर रू0 252000/–00(दो लाख बावन हजार रूपये) वार्षिक की दर से लाभार्जन कर रहा है। क्यो न उक्त भूमि से अध्यासी को बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला पश्चिम में:– अध्यासी का भवन

उत्तर में: भवन अतुल मेहरा ,दक्षिण में:– नाप भूमि

दिनांक 7/12/2024

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः तहसीलदार नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा कर रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बे0वा0 संख्या–15/2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनिय।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन नोटिस।)

प्रेषित,

श्री कपिल गुप्ता
पुत्र सच्चिदानन्द, निवासी ग्राम तपोवन,
पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर,
टिहरी गढ़वाल।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

अप्राधिकृत अध्यासी श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द निवासी ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0060है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से रू0 2,88,000/–(रूपये दो लाख अठ्ठासी हजार) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 24-12-24 को या उससे पूर्व यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

अप्राधिकृत अध्यसासी श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द उपरोक्त द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450 है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.00360है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से 2,88,000/–(रूपये दो लाख अठ्ठासी हजार) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला, पश्चिम में:–अध्यासी का भवन,
उत्तर में: अभिनव गोयल ,दक्षिण में:–ललित मोहन मिश्रा का भवन स्थित हैं।

दिनांक 07.12.2024

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः राजस्व उपनिरीक्षक, तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।